न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 03 / 2022
3. उनवान : मनोहर लाल रैगर पुत्र श्री मदन लाल जाति रैगर निवासी– हिरनोदा, तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

–प्रार्थी / गैरनिगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत मण्डाभीम सिंह तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।
2. नन्दाराम पुत्र श्री रामपाल रैगर जाति रैगर निवासी –मण्डाभीम सिंह, तहसील किशनगढ, रेनवाल, जिला जयपुर।

–अप्रार्थीगण

4. निर्णय दिनांक : 26 / 12 / 2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) अधिवक्ता श्री तेजाराम भंवरिया निगरानीकार की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री रामप्रकाश कुमावत गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायत राज अधिनियम 1994

निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की स्वयं की निजी स्वामित्व कयशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा ग्राम मण्डाभीम सिंह ग्राम पंचायत मण्डा भीमसिंह में स्थित है। जिसके तन्हा मालिक निगरानीकर्ता अर्से दर्जे से चले आ रहा है। दिनांक 20.12.1989 को पट्टा संख्या 114 पंचायत की संकल्प सख्या 4 दिनांक 14.11.1989 को जारी एक फर्जी पट्टा दिखाकर बनावटी पट्टे / भूमि विक्रय विलेख में दर्शायी गयी भूमि को जबरन प्रार्थी की कब्जाशुदा क्रय भूमि में से हडपना चाहता है। जबकि मौके पर कोई आबादी भूमि नही हैं। बनावटी पट्टा / भूमि विक्रय विलेख में कहीं पर भी प्रस्ताव संख्या, दिनांक आदेश व मिसल संख्या अंकित नहीं है। उक्त कॉलम खाली है। विवादित पट्टा में दर्शाये गये जमीन के पडोस आज की वास्तविक स्थिति में व पूर्व में कही मौजूद नही है तथा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी उक्त पट्टे पर कहीं पर भी सचिव के हस्ताक्षर नही है। तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना किसी पंचो की सहमति कोरम की मिटींग के बिना किसी पंचायती रिकोर्ड के निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया। राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम 1961 के अनुसार अनुसूची–5 नियम 271 के तहत आबादी भूमि पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर) में कही अंकित नहीं है।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ ग्राम पंचायत मण्डाभीम सिह तहसील किशनगढ रेनवाल, जिला जयपुर द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टा / विवादित पट्टा संख्या 114 दिनाक 20.12.1989 निरस्त किया जावे।

निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है कि प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनाक 09.02.2022 को अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई तो प्रार्थी ने पुलिस थाना रेनवाल को इसकी शिकायत की, पुलिस थाना रेनवाल द्वारा दोनो पक्षो को पाबन्द फरमाया गया तथा मौके पर अप्रार्थी

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

से मालिकाना हक से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे तो अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त पट्टा पुलिस थाने के समक्ष पेश किया तो प्रार्थी को उक्त दस्तावेज/पट्टा की जानकारी हुई जिसकी नकल ग्राम पंचायत से मागने हेतु एक प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष दिनाक 2202 2022 को पेश किया तो ग्राम पचायत अप्रार्थी सख्या 1 द्वारा कोई रिकोर्ड उपलब्ध नही करवाया गया। इस प्रकार उक्त दस्तावेज / पट्टे का वाद कारण उत्पन हुआ है। प्रार्थी को उक्त विवादित पट्टे की जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा उक्त पट्टे से सम्बन्धित रिकोर्ड प्राप्त करने हेतु दिनांक 22.02.2022 को ग्राम पंचायत मण्डा भीम सिंह अप्रार्थी सख्या 1 के समक्ष पेश कर रिकोर्ड चाहा तो कोई रिकोर्ड उपलब्ध नही कराया। डिले कंडोन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

निगरानी के संलग्न निगरानीकार ने स्थगन प्रार्थना पत्र, निगरानीधीन पट्टा 114 दिनांक 20/12/89 की प्रमाणित प्रति एवं अन्य संबंधित दस्तावेजात पेश किये है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा नोटिस तलबी गैर निगरानीकारान जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रामप्रकाश कुमावत उपस्थित हुए।

अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब स्थगन एवं जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 पेश किया गया जिसमें अंकित किया गया है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 के आबादी के कब्जे की भूमि निगरानीकार के द्वारा बताई गई कृषि भूमि नहीं है। उक्त पट्टाशुदा भूमि मिन उत्तरदाता का आवासीय भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा होने के कारण गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा मिन उत्तरदाता को पुराने कब्जे के आधार पर जरिये पट्टा सख्या 114 दिनांक 14/11/1989 को सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये चाही गई राशि जमा कराते हुये पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये आबादी भूमि का दिनांक 20/12/1989 को आवंटन पत्र जारी किया गया था। मिन उत्तरदाता द्वारा अपने उक्त आवंटनशुदा, कब्जाशुदा भूमि को गोकुल पुत्र किशन जाति मीणा निवासी मीणो का मौहल्ला, मण्ढाभीमसिंह तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनाक 24/3/2022 को विक्रय कर दिया। उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक किशनगढ रेनवाल के यहां दिनांक 24/3/2022 के पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 407 में पृष्ठ संख्या 50 क्रम संख्या 202203427100959 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 336 के पृष्ठ संख्या 436 से 444 पर पंजीबद्ध किया हुआ हैं। मिन उत्तरदाता के हक में विधिक प्रक्रिया अनुसार उक्त आबादी भूमि का पट्टा विलेख जारी किया। तत्पश्चात मिन उत्तरदाता ने उक्त पट्टशुदा भूमि का विक्रय कर दिया। उक्त आवासीय भूमि मिन उत्तरदाता को विधिक प्रक्रिया अनुसार आवंटित की गई। जिसको मिन उतरदाता ने क्रेता गोकुल पुत्र किशन को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैचान कर दी हैं। जिस पर क्रेता मौके पर काबिज मालिक स्वामी हैं। निगरानीकार ने बिना क्रेता को पक्षकार बनाये उक्त निगरानी व प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। निगरानीकार ने उक्त निगरानी 33 वर्ष के लम्बे अन्तराल के बाद बिना युक्तियुक्त कारण के मियाद बाहर पेश की है जिसे अन्दर मियाद शुमार करने हेतु कोई उचित कारण अंकित नहीं किया हैं, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। निगरानीकार उक्त भूमि को मिन उत्तरदाता से क्रय करना चाहता था परन्तु मिन उत्तरदाता द्वारा निगरानकार को उक्त आबादी भूमि विक्रय नहीं कर अन्य व्यक्ति को विक्रय की हैं। जिस पर क्रेता ने मौके पर पुख्ता निर्माण कर उपयोग उपभोग कर रहा हैं।

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अन्त में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं निगरानी मियाद बाहर होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

जवाब प्राप्त होने के पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार ने कथन किया कि निगरानीकार की स्वयं की निजी स्वामित्व कयशुदा खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 01 बीघा 9 बिस्वा ग्राम मण्डाभीम सिंह के तन्हा मालिक निगरानीकर्ता अर्से दर्जे से चले आ रहा है। दिनांक 20.12.1989 को पट्टा संख्या 114 पंचायत द्वारा जारी कर दिया गया जबकि मौके पर कोई आबादी भूमि नही हैं। विक्रय विलेख में कहीं पर भी प्रस्ताव संख्या, दिनांक आदेश व मिसल संख्या अंकित नहीं है। उक्त कॉलम खाली है। विवादित पट्टा में दर्शाये गये जमीन के पडोस आज की वास्तविक स्थिति में व पूर्व में कही मौजूद नही है तथा ग्राम पंचायत के द्वारा जारी उक्त पट्टे पर कहीं पर भी सचिव के हस्ताक्षर नही है। तत्कालीन सरपंच द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना किसी पंचो की सहमति कोरम की मिटींग के बिना किसी पंचायती रिकोर्ड के निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया। तहसीलदार रिपोर्ट में गैरनिगरानीकार का कोई कब्जा नहीं होने का अंकन है। आबादी भूमि पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर) में कही अंकित नहीं है। अतः पट्टा संख्या 114 दिनाक 20.12.1989 निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं0 2 ने लिखित बहस पेश की जिसमें अंकित किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टा भूमि विलेख के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत मण्डाभीम के स्वयं सचिव भी न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर पंचायत द्वारा जारी पट्टे के संबन्ध में पंचायत रिकार्ड की एक प्रमाणित प्रति भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 04.11.1989 पंचो की बैठक के कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर के मुताबिक पंचायत की पूर्ण कोरम में कई प्रस्ताव पारित किये गये थे, जिसमें प्रस्ताव संख्या 4 अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टे/भूमि विक्रय विलेख के सम्बन्ध में भी विधि अनुसार प्रस्ताव पारित किया गया है। पारित प्रस्ताव के अनुसरण में नियमानुसार पट्टा संख्या 114 में दर्शित भूमि की मुल्य राशि अप्रार्थी संख्या 2 से जमा कर पट्टा विलेख यांत्रिक प्रकिया अपनाते हुये सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये वैध पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 को जारी किया गया है जिसमें पट्टा संख्या जारी दिनांक और भूखण्ड की माप एवं भूखण्ड की दिशाऐं जमा राशि का अंकन सील व स्टाम्पस् जारी कर्ता के हस्ताक्षरशुदा इत्यादि का सम्पूर्ण अंकन है। इसके सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 1 स्वयं ग्राम पंचयत मण्डाभीम ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वैध होने का ताईद किया है। अप्रार्थी सं0 2 ने उक्त जारी पट्टे विलेख के आधार पर कब्जेशुदा भूखण्ड को नियमानुसार दिनाक 24.03.2022 को गोकुल पुत्र किशन निवासी मीणों का मोहल्ला, मण्डाभीम सिंह तहसील किशनगढ़ रेनवाल जयपुर को रजिस्टर्ड पंजीकरण विलेख द्वारा बेचान कर कब्जा सम्भला दिया गया है। इसकी जानकारी प्रारम्भ से ही प्रार्थी निगरानीकर्ता को रही है। जारी भूमि पट्टा विलेख के सम्बन्ध में ऐसी कोई सक्षम राजस्व कर्मचारी अधिकारी की रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही की जिससे प्रतीत हो कि निगरानीकर्ता को खातेदारी भूमि में आबादी का पट्टा विलेख जारी कर दिया हो। अप्रार्थी संख्या 2 ने जिस व्यक्ति को उक्त भूखण्ड बेचा है उससे उसने पूर्व में ही कर्ज ले रखा था इसलिये मजबूरीवश अप्रार्थी संख्या 2 को उक्त भूखण्ड केता गोकुल मीणा को विक्रय करना पडा उससे नाराज होकर प्रार्थी निगरानीकर्ता ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध झूठी निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। निगरानी याचिका में केता

अतिरिक्त, जिला कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

गोकुल मीणा को जो कि आवश्यक पक्षकार था जिसको जानबूझकर पक्षकार के रूप में सयोजित नही किया गया। लगभग 35 साल बाद अर्थात मियाद अवधि बाहर निगरानी याचिका न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है जबकि प्रार्थी निगरानीकर्ता उसी क्षेत्र का निवासी है उसे अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टा विलेख/विक्रय विलेख दिनांक से ही जानकारी थी। अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टा विलेख आबादी की भूमि में ही जारी किया गया है और उसके चारों दिशाओं में भी आबादी की भूमि का अंकन स्थित होना बताया गया है। अतः प्रार्थी निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष पर गौर किया। अप्रार्थी के जवाब व लिखित बहस का अध्ययन एवं मनन किया। निगरानीकार द्वारा उक्त निगरानी लगभग 33 वर्ष पश्चात् पेश की गई जिसका समयबद्ध कोई उचित कारण पेश नहीं किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी के साथ प्रस्तुत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। चूँकि निगरानीकार का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः मियाद अवधि कण्डोन न होने के कारण निगरानी चलने योग्य नहीं रहने के कारण निगरानीकार की निगरानी मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है। जब मियाद के बिन्दु पर ही निगरानी को खारिज कर दिया गया है तो निगरानी के सन्दर्भ में गुणावगुण पर कोई निष्कर्ष देना न्यायोचित नहीं है। तदानुसार निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल बिश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर